2020/00187

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री नायरा एनर्जी लि. जरिये मैनेजर ग्राम पालडी एम. तहसील शिवगंज जिला सिरोही (राज.)		सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट** मुकदमा नं. 9 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
6.7.2020	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना पालडी एम के सी. आर. नं. 79 दिनांक 28.5.2020 में उपाधीक्षक पुलिस वृत सिरोही द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का टेंकर नम्बर आजे 27 जीडी 0760 पकडा गया हैं जिसमें 23000 लीटर डीजल भरा हुआ है । उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैंनें परिवाद का अवलोकन किया गया। मूल डायरी का अध्ययन किया गया परिवाद दिनांक 8.6.2020 को प्रस्तुत किया गया। जिसका का अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 28.5.2020 को वक्त 7.00 ए.एम. पर श्री पूराराम उ.नि.. पुलिस थाना पालडी एम ने उप अधीक्षक पुलिस सिरोही को सूचना दी कि जसनाथ होटल हाईवे नम्बर 62 जो सरहद पालडी एम थाना में स्थित है जहां होटल के बाहर खाली जगह पर एक टेंकर चालक अपने टेंकर की सील तोडकर डीजल चोरी कर रहा है एवं होटल पर कार्यरत् कर्मचारी चोरी किया हुआ डीजल कम दाम में बिकी कर रहा है तथा उक्त डीजल को अवैद्य रूप से खरीद कर संचय कर अन्य लोगो को मुनाफा कमाने हेतु उच्च दामों में बेच रहा है कार्रवाई हेतु आवें उक्त सूचना मिलने पर मौके पर पहुचें तो सरहद में जसनाथ होटल के पास वाहन सं. आर.जे.27 जीडी 0760 को [illegible] पायी गई और सील के संबध में श्री शै[illegible] श्री गंगादानं चारण निवासी बि[illegible] जो वाहन का च[illegible] है से पूछने प[illegible]या कि उसनें डीजल चोरी कर[illegible] तोडकर इस टेंकर मे से 35 लीटर डीजल होटल वा[illegible] को बेचा है मौके	

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.06 13:21:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर उपस्थित शैतानदान की तलाशी लेने पर उसकी जेब से तोडी गई सील बरामद की गई तथा चोरी किया गया डीजल मौके पर पास ही रखे एक लाल रंग के ड्रम में भरा हुआ पाया गया वही पर एक लोहे का किप एवं 25 फिट लम्बा 1 प्लास्टिक का पाईप पाया गया है एक बडे ड्रम की क्षमता 200 लीटर की है। जिसे पूछने पर होटल मालिक ने बताया कि इस 35 लीटर डीजल के अलावा भी उसने अन्य टेंकरो के चालको से चोरी किया हुआ डीजल कय किया है जो उच्च दामों में अन्य लोगो को बेचान किया जाता है इस प्रकार अपराध धारा 407,379,411भादस का उल्ल्घन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 SEC-(2)(i) का उल्लघन है अतः धारा 407,379,411 भादस, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण डीजल के निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री दलपत परमार व अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि वाहन का ड्राईवर श्री शैतानदान पुत्र श्री गंगादानं चारण निवासी बिराई पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर हमेशा की तरह वाहन में डीजल भरकर कम्पनी के प्रेट्रोलपम्प जो सरहद थाना पालडी एम में अवस्थित है पर खाली करने हेतु जा रहा था । रास्ते में के पास पालडी एम ग्राम की सरहद में पुलिस ने उसके वाहन को रोककर जॉच की तो उसमें 23000 लीटर डीजल पाये जाने पर वाहन एवं डीजल को कब्जे सरकार लिया गया । प्रार्थी डीजल का एक मात्र स्वामी है जिसके इनवॉइस नम्बर 031384 दिनांक 25.5.2020 नायरा एनर्जी लिमिटेड जामनगर, गुजरात के नाम से प्रार्थी की कम्पनी नायरा एनर्जी लिमिटेड पालडी एम जिला सिरोही है। डीजल के थाने में पडे रहने से उसका वाष्पीकरण होकर खराब हो जायेगा डीजल ज्वलनशील पदार्थ है जिससे आग लगने की संभावना है जिससे उसे अतुलनीय क्षति होगी । पुलिस द्वारा डीजल से किसी तरह की कोई जॉच नहीं की जानी है । इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying at police station Held: Tanker released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.06 18:21:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः डीजल का प्रार्थी एकमात्र स्वामी होने से सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान करावें ।

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का विरोध करते हुये निवेदन किया कि चालक द्वारा डीजल की चोरी कर कालाबाजारी करने हेतु उक्त वाहन में ले जाया जा रहा था । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध होने से पुलिस द्वारा वाहन मय डीजल को कब्जे सरकार लिया गया है । एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही हुई है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है ।

ऐसी स्थिति में डीजल को सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें । उपाधीक्षक पुलिस सिरोही द्वारा थाना पालडी एम के मुकदमा संख्या 79 दिनांक 28.5.2020 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में टाटा टेंकर एलपीटी 2818 वाहन संख्या आर.जे. 27 जीडी 0760 में डीजल 23000 लीटर को कब्जे सरकार लिया गया है । उसे सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

मैंनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया । थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम के एफ आई आर कमांक 79 दिनांक 28.5.2020 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्येापान्त मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूचता हूँ कि पुलिस द्वारा टाटा टेंकर एलपीटी 2818 वाहन संख्या आर.जे. 27 जीडी 0760 में 23000 लीटर डीजल चोरी करते हुये पाये जाने पर डीजल व वाहन को कब्जे पुलिस लिया जाकर वाहन चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम अनुसन्धान जारी है । डीजल को उसके पंजीकृत मालिक को देने पर अनुसन्धान पर कोई विपरित असर पडना नही पाया जाता है । ऐसी स्थिति मे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे पाया जाता है जिससे वाहन मालिक एवं डीजल स्वामी को अतुलनीय क्षति होना पाया जाता है । उपभोक्ताओं को वाहन चलाने हेतु हो रही परेशानी को मध्यनजर रखते हुए एवं डीजल ज्वलनशील पदार्थ होने से उसका निस्तारण शीघ्र किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो [illegible] है **Revision Pettion No. 777 of 200[illegible] [illegible] on 27th Oct., 2006 Code of Criminia[illegible] 1973 Sec. 451/457- Tanker Sezied carr[illegible]000 ltrs. solvent - Denial to release on [illegible] Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will [illegible] served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.06 13:21:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

इस प्रकरण में लागू होना पाया जाने से उसका सम्मान करते हुए वाहन को रूपये 24,00,000/- की जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर दिये जाने के आदेश हमारे न्यायालय द्वारा दिनांक 9.6.2020 को मुकदमा संख्या 8/2020 इन्दरसिंह बनाम सरकार में दिये जा चुके है । डीजल के संबंध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को से एवं अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत केस डायरी एवं कि गयी बहस से यह पाया जाता है कि वाहन में भरा हुआ डीजल चोरी का होना अभियोजन पक्ष सिद्ध करने में असफल साबित हुए है । केस डायरी का अवलोकन करने पर इनवॉइस नम्बर 031384 दिनांक 25.5.2020 प्रार्थी की कम्पनी नायरा एनर्जी लिमिटेड पालडी एम जिला सिरोही के नाम दर्ज है । जिससे पाया जाता है कि उक्त टेंकर जामनगर से रवाना होकर पालडी एम नायरा एनर्जी लिमिटेड पहुंचनी थी । केस डायरी का अवलोकन करने पर पाया कि पुलिस द्वारा फर्द निरीक्षण घटना स्थल में बनाये गये नक्शें में बताया गया है कि जसनाथ होटल पश्चिम दिशा में हैं उक्त हाइवे फॉरलेन है जिससे जसनाथ होटल पर होकर टेंकर आगे जाकर कट से पूर्व दिशा में जाकर वापस सिरोही की तरफ पालडी एम गांव की सरहद में बने पेट्रोल पम्प पर टेंकर में भरा डीजल खाली किया जाना प्रतीत होता है इस प्रकार यह प्रथम दृष्ट्या पाया जाता है कि टेंकर में भरा हुआ डीजल चोरी का होना नही माना जा सकता है। ड्रम में भरा डीजल एवं वाहन के अंतरिम निस्तारण के आदेश मुकदमा संख्या 8/2020 दिनांक 9.6.2020 को रूपये 24,00,000/- की जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर दिये जा चुके है ।

थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम द्वारा केस डायरी प्रस्तुत [illegible] निस्तारण नही बनाने से वाहन में भरे [illegible] नियमानुसार [illegible] अमानत कम्पनी दर [illegible] कर प्राप्त राशि [illegible] राजकोष में [illegible] संशोधन करते हुए डीजल जल्द [illegible] होने वाली वस्तु हैं, जिसका निस्तारण करना आवश्यक है ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.06 13:21:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः वाहन में भरे हुए डीजल 23000 लीटर को उसके मालिक को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। इन्वायस में दर्ज किमत 1192415/–रूपये हैं । अतः वाहन मालिक से रूपये 1200000/–की बैंक गारन्टी पर इनवॉइस नम्बर 031384 दिनांक 25.5.2020 में दर्ज प्रार्थी की कम्पनी नायरा एनर्जी लिमिटेड पालडी एम जिला सिरोही को सुपुर्द करने के आदेश दिए जाते हैं ।

जिला रसद अधिकारी सिरोही कब्जे सरकार लिये गये 23000 लीटर डीजल जो टेंकर नं. आरजे 27 जीडी 0760 में भरा हुआ है, को उसके स्वामी को जो नायरा एनर्जी लिमिटेड पालडी एम है को सुपुर्द करें एवं मुकदमा संख्या 8/2020 में पारित आदेश दिनांक 9.6.2020 के पालन में एक ड्रम में 35 लीटर डीजल भरा हुआ है को नियमानुसार लाईसेंस होल्डर डीलर/पेट्रोलपंप डीलर को कम्पनी दर पर दिलवा कर प्राप्त राशी बतोर अमानत राजकोष में जमा करावे एवं टेंकर की सील, डीजल निकालने के उपकरण किप व नली जो पुलिस थाना पालडी एम में पडा हैं, को नियमानुसार मुकदमें के निस्तारण तक पुलिस के मालखाना में सुरक्षितें जमा रखे ।

आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश उसके स्वामी की जांच कर डीजल सुपुर्द करने हेतु जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम को भिजवाई जावे । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एंव नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावें ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.06 13:21:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner